सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

बनाम राजस्व

दिनांक - 16/6/2023

21/2

पत्रावली पेश हुई। अपील प्रार्थी द्वारा अपील में तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा 30 दिवस की मियाद के अन्दर अपील प्रस्तुत की गई। मूल प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। इनके विपक्षी एवं दूसरा अपीलार्थी आमने सामने पाये गये। अपील प्रार्थी ने मूल वाद के निस्तारण ~~[illegible]~~ अपील के जरिये अवमानना विधान के पालन कराने निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। मूल वाद बेदखली का होकर उसके तामील की क्रिया अभी हो। अतः प्रकरण के अन्तिम निस्तारण के मूल वाद के निस्तारण तक विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पालन किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर